

न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक  
मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा

राज्य बनाम कंचन सिंह ।

दण्डवाद सं०-2438 / 2019

मु०अ०सं०-60 / 2019

धारा-60 आबकारी अधि०

थाना-ठाकुरद्वारा ।

**17.01.2020**

अभियुक्त कंचन सिंह की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं०-60 / 2019 धारा-60 आबकारी अधि० थाना- ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्त को रंजिशन झूठा फंसाया गया है वह निर्दोष है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियोजन आख्यानसार अपराध जमानतीय है।

प्रार्थनापत्र पर सुना, अभियोजन आख्या एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। अपराध जमानतीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की जमानत का पर्याप्त आधार है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

अभियुक्त कंचन सिंह द्वारा तीस-तीस हजार रु० के दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट  
ठाकुरद्वारा ।

